सलग्नक ।

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ – 227132

संख्या ई- 3669 /जी. एस.

दिनांक 20/11/1997 ।

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-रू०वि०/सम्ब०/९७/७९५६-६०, दिनांक २९.६.१९९७ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अधीन प्रस्तावित मुरादाबाद इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मुरादाबाद को (१) इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, (२) कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एवं इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी, (३) मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषयों में विशिष्ट परिस्थितियों में अपवाद के रूप में दिनांक १६.१२.१९९६ से आगामी चार वर्षों की अवधि के लिये निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है ।

भवदीय,

(एल० मिल्टन)
कुलाधिपति के अनु सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. अध्यक्ष, उच्च शिक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश, १८-ए न्याय मार्ग, (हेस्टिंग्स रोड), इलाहाबाद ।

२. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ ।

(एल० मिल्टन)
कुलाधिपति के अनु सचिव ।

संख्या 5-7269/जी०एस०,

लखनऊ, दिनांक 11-8 १९९९

179

(पिन कोड नं०-२२७१३२)

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-रू०वि०/सम्ब०/९९, दिनांक ३२०-३२००, दिनांक ३.८.९९ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अधीन मुरादाबाद इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मुरादाबाद को स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में दिनांक ०१.७.९९ से आगामी चार वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेशन संख्या-४३२/९९-सोलह-प्रा०शि०-१-७(स्था)/९८, दिनांक २.२.९९ एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र दिनांक ७२०/६७-२३४/आर०सी०/९४, दिनांक २४ जून, १९९९ में उल्लिखित शर्तों का संस्था द्वारा शत प्रतिशत पालन किया जायेगा।

२. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूर्ण कर लिया गया है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा उपरोक्त पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीटों पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश लिया जाएगा।

३. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फीस के संबंध में जारी समय-समय पर शासनादेशों के अधीन ही अभ्यर्थियों से विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित फीस ली जाएगी।

४. यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण कराने के बाद उनके निर्धारित मानकों को संस्था पूर्ण नहीं करती है तो विश्वविद्यालय उक्त संस्थान की अस्थाई सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर विचार कर नियमानुसार माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

५. संस्था द्वारा निरीक्षण पैनल की आख्या में दिये सुझावों का अनुपालन प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०-१८-ए, न्यायमार्ग (हेस्टिंग्ज रोड) इलाहाबाद।
२. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
३. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरागांधी स्पोर्टस कम्प्लेक्स, इन्द्रप्रस्थ ईस्टेट, नई दिल्ली।
४. चेयरमैन, मुरादाबाद इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मुरादाबाद-२४४००
५. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
६. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।